विशिष्ट शिक्षा का अर्थ
(MEANING OF SPECIAL EDUCATION)

सामान्य शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। यह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार—"वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं, क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली है या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग है और या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न है।"

Kirk and Gallagher (1986). "When youngsters in the same classroom are remarkably different, it is difficult for the teacher to help them reach their educational potential without some kind of assistance. The help that the schools device for children who differ significantly from the norm is called special education."

जे. डी. हण्ट के अनुसार—"विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है।"

विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति तथा महत्त्व
(NATURE AND IMPORTANCE OF SPECIAL EDUCATION)

1. विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है चाहे वह बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा।

2. विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है।

3. विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान व निदान में सहायक है।

4. विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है।

5. विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है।

6. विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

7. यह शिक्षा बालकों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है।

8. विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वे बच्चे धर्म, जाति, लिंग, रूप व आकार के अनुसार भिन्न ही क्यों न हों।

9. प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा लेने का अधिकार है। अत: विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है।

10. विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के हर पक्ष का विकास करती है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या सामाजिक या संवेगात्मक।

11. विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाती है।

विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF SPECIAL EDUCATION)

1. विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा का एक रूपांतर है।
2. विशिष्ट शिक्षा अपंग बालकों के लिये शिक्षण विधियों पर जोर देती है।
3. सामान्य बालक को यह शिक्षा नहीं दी जाती।
4. विशिष्ट शिक्षा योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है।
5. मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा से अत्यन्त लाभ होता है।

विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य (OBJECTIVES OF SPECIAL EDUCATION)

प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था या संस्था के कुछ लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा भी सामान्य शिक्षा की तरह देश के विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, समाज में फैली बुराइयाँ मिटाना आदि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर चलती है। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य भी हैं—

1. विशिष्ट बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना।
2. शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वे गम्भीर स्थिति को प्राप्त हों, उनकी रोकथाम के लिए उपाय करना।
3. विशिष्ट बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करना ताकि वे अपने आपको समाज में समायोजित कर सकें।
4. शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना।
5. इस शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों के प्रति माता-पिता व समाज के लोगों की सोच व दृष्टिकोण को बदलना है।
6. विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है।
7. शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना।
8. विशेष बच्चों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना, जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
9. यह शिक्षा विशिष्ट बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है ताकि वे भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।
10. विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के माता-पिताओं को निपुणता तथा कार्य-कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की समस्याओं की रोकथाम के उपाय करना है।
11. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (National Policy of Education, 1986) में स्वयं एवं जीवनयापन के आव्यूहों का क्रमबद्धता से निर्धारण करना।
12. अपंग बालकों में यह इच्छा पैदा करना कि वे सामान्य बच्चों के समान गतिविधियों में भाग ले सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, 1992) ने स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि उद्देश्य अग्र प्रकार होने चाहिए—

(i) शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ एकीकृत करना।

(ii) उनको सामान्य विकास के लिए तैयार करना।

(iii) उनको इस योग्य बनाना कि वे जीवन की समस्याओं का साहस व आत्म-विश्वास से सामना कर सकें।

विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र (SCOPE OF SPECIAL EDUCATION)

विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

1. आत्म-विश्वास का विकास (Development of Self-Confidence)—जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्रायः वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत हो जाती है तथा वह भी सामान्य बालकों की तरह राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिये विशिष्ट शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये।

2. कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य (Objective of Welfare State)—भारत एक लोकतान्त्रिक तथा विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जायें। उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्रदान किये जायें ताकि वे भी अच्छा, स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

3. समान शैक्षिक अवसर (Equal Educational Opportunities)—अगर हम सामान्य बालकों की भाँति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिये कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिये यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किये जायें।

4. जीवन में समानता (Equality in Life)—'विशिष्ट बालकों' को अपने आपको घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिये कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिये उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने चाहिये ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।